



क्रमांक: 1241/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 30 / 09 / 2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की पंचम\* बैठक गुरुवार, दिनांक 18.09.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
4. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
5. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
6. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
8. प्रो. दिनेश मरोठिया	—	सदस्य
9. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
10. श्री श्रीचंद सुंदरानी	—	सदस्य
11. श्री सत्यनारायण शर्मा	—	सदस्य
12. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

#### कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन संलग्न कर सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2014 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.08.2014 एवं दिनांक 09.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.08.2014 एवं 09.09.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

04. दिनांक 27.06.2014 से 23.07.2014 तक कुल 17 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि प्रदान की गई का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : दिनांक 27.06.2014 से 23.07.2014 तक कुल 17 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

05. पूरक परीक्षा 2014 हेतु केन्द्र अग्रिम राशि रु. 15,35,000/- (पन्द्रह लाख पैंतीस हजार रुपए) स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : पूरक परीक्षा 2014 हेतु केन्द्र अग्रिम राशि रु. 15,35,000/- की स्वीकृति दी गई।
06. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Sciences) की स्थापना के लिए प्रेषित प्रस्ताव पर छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रेषित प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के लिए कुल 15 पदों पर दी गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण की गई।
07. प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।  
निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
08. 2 अगस्त, पं.रविशंकर शुक्ल जयंती एवं 21 दिसम्बर पं. सुन्दरलाल शर्मा जयंती का अवकाश पूर्ववत् रखे जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : 2 अगस्त, पं.रविशंकर शुक्ल जयंती एवं 21 दिसम्बर पं.सुन्दरलाल शर्मा जयंती का अवकाश पूर्ववत् रखने के संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यथासंभव पं.रविशंकर शुक्ल जयंती तिथि को पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यानमाला आयोजित किया जाय। दोनों कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
09. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मैसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मैसी संस्थान का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रमन फेलोशिप उपाधि के लिए प्राकृतिक शोध उत्पाद केन्द्र, मिसीसिपी, ओलेमिसिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में चयन होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.11.2014 से एक वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई। अध्ययन अवकाश अवधि में वेतन मंहगाई भत्ते के अलावा अन्य किसी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
10. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, रायपुर का विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर दिनांक 19.08.2014 से एक वर्ष अथवा राज्य शासन द्वारा नियमित

नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए संविदा सेवावृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

11. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्राचार्य—

1. संदीपनी एकेडमी, अछोटी, मुरमुंदा, जिला—दुर्ग द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये प्राचार्य पद पर अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया। संबंधित महाविद्यालय को नोटिस जारी किया जावे कि उन्होंने स्कूटनी के समय पात्रता का परीक्षण क्यों नहीं किया।

विभागाध्यक्ष शिक्षा—

1. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर में विभागाध्यक्ष, शिक्षा के पद पर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार डॉ. शिखा बेनर्जी के नाम का अनुमोदन किया गया।
2. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भीमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर में विभागाध्यक्ष, शिक्षा के पद पर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार डॉ. शिखा बेनर्जी के नाम का अनुमोदन किया गया।
3. सेठ सुगन चंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार श्रीमती जसबीर कौर के नाम का अनुमोदन किया गया।

12. एम.ए. संस्कृत सामान्य/पूर्वाध्य/उत्तरार्ध्य, एम.ए.क्लासिक्स की परीक्षा के संबंध में छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करना।


निर्णय : स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2011 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2011 में अनुमोदन के फलस्वरूप संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रश्न पत्र का हल संस्कृत भाषा में करने संबंधी प्रस्ताव पर पुनः विचार करते हुए छात्रहित में अस्थायी रूप से संस्कृत विषय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषा में कराने का निर्णय लिया गया। जिन छात्र—छात्राओं ने संस्कृत में हल किया है उनकी अंकसूची एवं उपाधि में माध्यम संस्कृत एवं जिन छात्र—छात्राओं ने हिंदी में हल किया है उनकी अंकसूची एवं उपाधि में माध्यम हिंदी लिखा जावे।

प्रकरण पर स्थायी रूप से निराकरण के लिए विशेषज्ञों की राय ली जाये।



पूरक सूची :

01. NCNR द्वारा ALPHA-FT-IR, Analytical Instruments क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय : ALPHA-FT-IR, Analytical Instruments क्रय करने के संबंध में BRUKERS Optic GmbH-D-76275 ETTLINGEN-RUDOLEF-PLANK STR-27 द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रुपए 17,34,424/- पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति से की गई अनुशंसा के अनुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
02. NCNR द्वारा AAS (Model AA-8000FG) क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।  
निर्णय : AAS (Model AA-8000FG) क्रय करने के संबंध में मेसर्स, Lab India Instruments Pvt.Ltd., Hyderabad द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रुपए 27,58,301/-पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ।
03. NCNR द्वारा LC-MS-MS क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।  
निर्णय : LC-MS-MS (Shimadzu LCMS 8040 Ultra Fas Triple Quadrupole Mass Spectrometer with NEXERA UHPLC System) क्रय करने के संबंध में मेसर्स, Shimadzu (Asia Pacific) Pvt.Ltd. Singapore द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रु. 1,20,75,000/- पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
04. Director, NCNR के प्रस्ताव दिनांक 16.09.2014 के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : DST-NCNR Project के अंतर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2014 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रोजेक्ट स्टॉफ, कंसल्टेंट व कोऑर्डिनेटर को टी.ए.डी.ए. के साथ-साथ फील्ड एलाउन्स के रूप में रुपए 200/- प्रतिदिन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ बोर्डिंग चार्जस वास्तविक दर प्राप्त होगा।
05. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स विभाग द्वारा DRDO प्रोजेक्ट के अंतर्गत ATLAS SILVACO FRAMEWORK उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।



निर्णय : इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स विभाग द्वारा DRDO प्रोजेक्ट के अंतर्गत ATLAS SILVACO FRAMEWORK उपकरण क्रय करने के संबंध में SILVACO SINGAPORE के Sole India Distributor मेसर्स, Micro Chitronix System Lucknow द्वारा प्रस्तुत दर रु. 6,00,075/- पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16.09.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

07. डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की याचिका क्रमांक 1730/06 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की याचिका क्रमांक 1730/06 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में अन्य समान प्रकरणों पर लिए गए निर्णयानुसार विधिक अभिमत लेकर कार्यवाही किया जावे।

08. श्री बलदाऊ प्रसाद भंवर, सहायक यंत्री के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय : श्री बलदाऊ प्रसाद भंवर, सहायक यंत्री के विरुद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक/अपराध/अनु.-22(2006)/498/14, रायपुर दिनांक 23.05.2014 के संबंध में निर्णय लिया गया कि विभागीय जांच करायी जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. राजभवन, रायपुर से राज्यपाल के अवर सचिव द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 5613/127/2013/रास/यू.-1रायपुर, दिनांक 26/08/2014 के साथ संलग्न प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्यपरिषद ने विचार किया।

लेख है कि डॉ. जयंत विश्वास के प्रकरण पर पूर्व में राजभवन के पत्र क्रमांक 6647/127/2013/रास/मुन/दिनांक 30.11.2013 द्वारा प्रतिवेदन मांगने पर विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 657/स्था/सा.प्रशा./2014 दिनांक 06.02.2014 द्वारा जानकारी प्रेषित की गई है।

डॉ. जयंत विश्वास ने एसोसिएट प्रोफेसर (बायोसाइंस) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्हें पर्याप्त अर्हताएं न पाये जाने के कारण साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया था। जिससे आहत होकर डॉ. जयंत विश्वास ने राजभवन में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय राज्यपाल के सचिवालय द्वारा कुलाधिपति की अनुमति से डॉ. बी.एल. शर्मा, कुलपति, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच कार्यवाही की गई।



समस्त प्रपत्रों पर विचार किया गया डॉ. बी.एल. शर्मा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। डॉ. बी.एल. शर्मा के जांच रिपोर्ट में विस्तृत विवेचना की गई है और प्रतिवेदन के प्रभाव योग्य अंश का उल्लेख पृष्ठ क्रमांक 18 पर किया गया है।

यह पाया गया कि डॉ. जयंत विश्वास आवेदन दिनांक पर न्यूनतम 08 वर्षों का अनुभव नहीं रखते थे। इस कारण वे उक्त पद के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसी कारण डॉ. जयंत विश्वास को शार्ट लिस्ट नहीं किया गया एवं साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया। जांच अधिकारी डॉ. बी.एल. शर्मा ने भी यही निष्कर्ष दिया है कि डॉ. जयंत विश्वास साक्षात्कार हेतु पर्याप्त पात्रता नहीं रखते थे।

अतः स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. जयंत विश्वास को साक्षात्कार में नहीं बुलाने का निर्णय पूर्णतः उचित एवं वैधानिक है एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के प्रावधान अनुसार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों/प्रावधानों को किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निर्णय निर्धारित प्रावधानों के अनुसार है, जिस पर कार्यपरिषद ने सहमति व्यक्त की है। इस आधार पर डॉ. जयंत विश्वास को किसी भी प्रकार की अपील या शिकायत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

डॉ. जयंत विश्वास ने API गणना कमेटी पर भी आपत्ति की है। यह स्पष्ट है कि डॉ. जयंत विश्वास को पात्रता न होने के कारण साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया और उनका प्रकरण API गणना कमेटी को भी नहीं भेजा गया। ऐसी स्थिति में भी डॉ. जयंत विश्वास को किसी भी प्रकार की अपील या शिकायत करने का अधिकार नहीं है।

इस आधार पर भी उनकी आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

डॉ. जयंत विश्वास ने मुख्य रूप से डॉ. श्रीमती आरती परगनिहा को API गणना कमेटी में सदस्य होने पर आपत्ति की है। यह पाया गया कि श्रीमती आरती परगनिहा बायोसाइंस विषय से संबंधित API गणना कमेटी में सदस्य नहीं थी और न ही श्रीमती आरती परगनिहा विभाग के स्कूटनी समिति में शामिल थी। इस आधार पर भी डॉ. जयंत विश्वास का आरोप मिथ्या एवं झूठा है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में डॉ. जयंत विश्वास की आपत्ति सारहीन एवं बिना उचित अधिकार (No Locus Standi) के होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन के पेज क्रमांक 13 में बिंदु 5 के अंतिम पैरा में निम्नानुसार लेख किया है—


“जांच के दौरान श्री ए.के.पति, श्री ए.के.गुप्ता एवं श्रीमती आरती परगनिहा का यह बयान स्वीकार करने योग्य है कि कोई भी अधिकारी अपने हस्ताक्षर बिना डाटा वाले दस्तावेज पर नहीं करता है एवं श्री जयंत विश्वास द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करके डाटा को हटा दिया गया है। यह एक दुर्भाग्य एवं दूराशय पूर्ण ढंग से रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ करने का मामला है। जो स्वयं जांच की विषय वस्तु है।”


इस पर अलग से जांच कराकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाय।



2. विश्वविद्यालय परिसर के पास स्कूल के लिए जमीन मांगे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्कूल भवन निर्माण के लिए आवश्यक जमीन का आकलन पहले कर लिया जावे तथा संबंधित भूमि के विवाद के संबंध में जानकारी देते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 1442/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 30/09/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण, / वि. वि. के समस्त विभागीय अधिकारी
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रभारी अधिकारी (अका.)